उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग–2
संख्या–46 / 2019 / एस–2–2525 / दस–2019–128 / 2015
लखनऊ : दिनांक :: 17 अक्टूबर, 2019

विज्ञप्ति / नियुक्ति

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2016 के चयन के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड–3 रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 / – (लेविल–10) में कोषाधिकारी / लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:–

क0	नाम / पिता का नाम	पता
01.	सुश्री पूजा पुत्री श्री सुमन कुमार	120 / 44 सुमति पथ, पोस्ट–महेन्द्रु, थाना–सुल्तानगंज, जिला–पटना, बिहार–800006
02.	श्री आसिफ अली खान पुत्र श्री आबिद अली खान	मोहल्ला हवेली विलेज, मकसूदपुर, ब्लाक–अवागढ़, एटा (उ0प्र0) 207302
03.	मो0 असलम पुत्र श्री नूर अहमद	ग्राम व पोस्ट–बहादुर पुर उर्फ भूड़ा, 67, थाना व तहसील–बहेडी, बरेली, उ0प्र0 243201
04.	सुश्री गीता रानी पुत्री श्री राम प्रकाश	प्रेम लता विकास नगर किसान कोल्ड स्टोर, धनौरा वार्ड–9 मन्डी, ज्योतिबाफूले नगर, उ0प्र0–244231
05.	सुश्री स्वेच्छा सिंह, पुत्री श्री अयोध्या प्रसाद,	545 का सू–107, शुक्ला विहार, पारा, राजाजीपुरम्, लखनऊ–226017
06.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री भृगुनाथ प्रसाद	दरगाह शरीफ, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, उ0प्र0– 231304
07.	श्री अनुपम कुमार पुत्र श्री नन्दू राम,	ग्राम–परसपुर, पोस्ट–बुढ़ानपुर, जखनियॉ, जनपद–गाजीपुर–275203
08.	श्री शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री गंगा सागर पाण्डेय	मानस भवन जफरपुर, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के पीछे, आजमगढ़, उ0प्र0–223227
09.	श्री अंशुल मौर्य, पुत्र श्री राम आसरे मौर्य	ग्राम–मैनीपुर, पोस्ट–सदर, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0–222001

(1) उक्त अभ्यर्थी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित सूचनायें / प्रमाण पत्र 02 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे:–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

–/2

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा
(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।
(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र।
(घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।
(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।
(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।
(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण पत्र।
(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार उक्त अभ्यर्थियों की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रकिया को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आयोग द्वारा योजित की गयी एस0एल0 संख्या–9610/2017 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगी।

(4) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होंगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) यदि उक्त निर्धारित अवधि में वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई प्रार्थनापत्र उक्त अवधि के अन्दर शासन को प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं, तो यह माना जायेगा कि वे कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु यदि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाये जाने का कोई आवेदन पत्र, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए समयान्तर्गत दिया जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में 01 माह तक और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

(6) उक्त अभ्यर्थियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम–24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,2013 के नियम–4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(7) उक्त अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

–/3

(8) पदभार ग्रहण करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशक कोषागार,उ0प्र0 लखनऊ तत्काल आधारभूत कोर्स एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु अपने स्तर से सम्यक आदेश/निर्देश जारी किये जायेंगे।

(9) सम्बन्धित अधिकारी को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली–भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह ज्ञात हो कि वे नियमित सम्वर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(10) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्तें उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सम्बन्धित अधिकारी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(11) प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमों के अनुसार किया जायेगा।

समीर,
विशेष सचिव।

संख्या–46/2019/एस–2–2525(1)/दस–2019–128/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– संयुक्त सचिव, कार्मिक अनुभाग–4 को उनके पत्र संख्या–आ–219/ का–4–2019, दिनांक 3–5–2019 के सन्दर्भ में ।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4– निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ
6– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
7– अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
9– अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु ।
10– संबंधित अधिकारीगण।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

शासन के अधीन किसी सेवा में नियुक्ति के लिये विचाराधीन अभ्यर्थियों के वक्तव्य का

प्रपत्र

मैं ———————————— जो ———————————— के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर मैंने दिये हैं वे ठीक हैं।

क—क्या इससे पहले आपको केन्द्रीय सरकार या किसी शासन ने नौकर रखा था ?

नहीं
———— नीचे देखिये :
हाँ

विभाग या कार्यालय जिसमें आप इससे पहले नौकर रखे गये थे	नियुक्ति का पद नाम	नियुक्ति की समाप्ति का कारण

ख—क्या इससे पहले आपने केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य शासन के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया था और नियुक्त हो गये थे ?

नहीं
———— नीचे देखिये :
हाँ

विभाग या कार्यालय जिसमें नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया था	उस नियुक्ति का पद नाम जिसके लिये आवेदन-पत्र दिया था

मुझे मालूम है कि यदि किसी सारवान तथ्य के संबंध में मेरा कथन असत्य होगा तो कोई सूचना दिये बिना मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी और क्षतिपूर्ति करने का मैं अधिकारी होऊंगा। साथ ही नियुक्ति समाप्त कर अन्य किसी ऐसी कार्यवाही पर जो सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।

दिनांक ————————

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नोट :—जो भी लागू न हो, उसे काट दीजिए।

अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिये विवरण

1—पूरा नाम, यदि कोई उप नाम (उर्फ) हो तो उसे भी दिया जाय——————————

——————————————————————

2—पिता का पूरा नाम, यदि कोई उपनाम (उर्फ) हो तो उसे भी दिया जाय और यदि वह किसी सेवा में हों तो सेवा का पद नाम——————————

——————————————————————

3—निम्नलिखित की राष्ट्रीयता :—

पिता——————————

माता——————————

पति——————————

पत्नी——————————

निम्नलिखित का जन्म स्थान :—

पति——————————

पत्नी——————————

4—स्थायी पता अर्थात् ग्राम, थाना और जिला, सड़क, पथ या गली और मकान नं०——————————

——————————————————————

यदि वह मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, तो इस अधिराज्य (डोमिनियन) में आने का और भारत संघ में प्रव्रजन करने का दिनांक व्यक्त किया जाय——————————

——————————————————————

5—वर्तमान पता——————————

6—पिछले पाँच वर्षों से उसका पता——————————

7—आयु तथा जन्म-तिथि (यदि अभ्यर्थी मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास हो, तो मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास करने के समय उसकी आयु लिख दी जाय)——————————

——————————————————————

8—शैक्षिक अर्हतायें (14वें वर्ष के बाद से अभ्यर्थी जिन स्कूलों और कालेजों में पढ़ा हो उनके नाम वर्ष सहित)——————————

——————————————————————

9. उन कार्यालयों या फर्मों के पूरे विवरण तथा पते जहां अभ्यर्थी ने पहले कार्य किया हो————

10. उस स्थान के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम या ऐसे व्यक्तियों के नाम जो अभ्यर्थी को जानते हों————

11. क्या किसी न्यायालय ने अभ्यर्थी को किसी अपराध के लिये दंड दिया है? यदि हां, तो अपराध तथा दंड का पूर्ण विवरण दिया जाय————

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर————

मैं प्रमाणित करता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी और विश्वास है उपर्युक्त सूचना ठीक और पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से परिचित नहीं हूं, जो शासन के अधीन नौकरी करने के लिये मेरी उपयुक्तता में बाधक हों।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर————

दिनांक————

स्थान————

प्रमाणीकरण पत्र

चेतावनी—

1—इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता (disqualification) समझी जायगी और इसके उम्मीदवार को सरकार के मातहत नौकरी के लिये अनुपयुक्त (unfit) समझा जा सकता है।

2—यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध (detained) सिद्ध दोष (convicted), वारित (debarred) आदि किया जाय तो उसके ब्योरे उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग को सूचित किये जाने चाहिये। ऐसा न करने पर यह समझा जायगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है।

(1) पूरा नाम, उपनामों के साथ, यदि कोई हो ——————

(2) पिता का पूरा नाम, उपनामों के साथ यदि कोई हो तथा सेवा का पद नाम, यदि कोई हो ——————

——————

3—निम्नलिखित की राष्ट्रीयता :—

पिता——————

माता——————

पति——————

पत्नी——————

4—घर का पूरा पता :—

अर्थात्, गांव, थाना तथा जिला/सड़क, मार्ग या गली, मकान नम्बर सहित——————

——————

——————

यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन करने (emigration) की तारीख यहां दी जाय——————

——————

5—वर्तमान पूरा पता——————

——————

6—पिछले पांच वर्षों के पते ——————

7—आयु तथा जन्म की तारीख (यदि उम्मीदवार मैट्रीकुलेट हो तो उसकी मैट्रीक्यूलेशन के समय की आयु दी जाय)——————

8—शैक्षिक अर्हतायें जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और साथ में स्कूलों तथा कालेजों में व्यतीत किये गये वर्ष दिये जाय।

स्कूल कालेज का नाम पूरे पते का नाम	प्रवेश का दिनांक	छोड़ने का दिनांक	परीक्षा जो पास की हो

9—कार्यालय या फर्म यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते, जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहां वह इस समय काम कर रहा हो ——

पद का नाम जिस पर काम किया हो या कर रहा हो अथवा कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली नौकरी छोड़ने के पूरे कारण
	से	तक		

10—इलाके के ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे दो व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हों ——

11—(क) क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये गिरफ्तार अभियोजित (Prosecuted) निरुद्ध (Kept in detention) अथवा आबद्ध (Bound), अर्थ दंडित (Fined) दोष सिद्ध किये गये या लोक-सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिये वारित/अनर्ह किये गये, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी/संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिये वारित या बहिष्कृत (debarred) किये गये।

(ख) क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय/विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी/संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है।

यदि (क) या (ख) का जवाब हां है तो बाद गिरफ्तारी, निरुद्ध, अर्थ-दण्ड, दोष सिद्ध, दण्डादेश आदि का पूर्ण विवरण तथा इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय/शिक्षा प्राधिकारी आदि के समक्ष विचाराधीन वाद का प्रकार दिया जाए ——

(कृपया प्रमाणीकरण प्रपत्र के शीर्षक पर चेतावनी को देखें)

(प्रमाण-पत्र जिस पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ऊपर दी गयी सूचना सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जो सरकार के मातहत किसी नौकरी के वास्ते मेरी उपयुक्तता को कम कर सकते हैं।

तारीख ——

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान ——

....

DECLARATION

I, Sri/Km. .... hereby declare, that I have no/following relation already working in the U.P. Secretariat.

Dated ....   *Signature*

Lucknow 19

DECLARATION

I, Sri/Km. .... hereby declared, that I am free from pecuniary embarrassment.

Dated ....   *Signature*

Lucknow 19

DECLARATION

I, hereby declare, that I do not have more than one wife living in the event of this declaration being found to be incorrect, I will be dismissed from services.

Dated ....   Signature

Lucknow 19

DECLARATION

I, hereby declare that I have read the Official Secrets Act, 1923 and am aware of the penalties which attach to the divulging of secret information.

Dated ....

Signature ....

Name in full ....
(In Block Letters)

Department ....

....

[illegible]

घोषणा पत्र

(क)

(उनके उपयोगार्थ जिनके स्वामित्व में कोई अचल सम्पत्ति न हो।)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि तत्पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति मेरे द्वारा अर्जित की जायेगी तो मैं इस तथ्य का उल्लेख सम्बन्धित प्राधिकारी के पंचवर्षीय संपत्ति-विवरण में कर दूंगा।

हस्ताक्षर—

पदनाम—

दिनांक—

(ख)

(उनके उपयोगार्थ जिनके स्वामित्व में अचल संपत्ति हो।)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि निम्नवत् अचल सम्पत्ति मेरे नाम में है—

भूमि सम्पत्ति

में स्थित भूमि			क्षेत्रफल एकड़ों में	अर्जित अथवा पैतृक, यदि अर्जित की गई हो तो अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	अभ्युक्ति
जिला	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

भवन सम्पत्ति

क्रम-संख्या	में स्थित भवन		भवनों की संख्या	अर्जित अथवा पैतृक, यदि अर्जित की गई हो तो अर्जन का दिनांक	क्या वैयक्तिक उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है अथवा इसे किराए पर उठाया गया है।	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	अभ्युक्ति
	ग्राम, कस्बा अथवा नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में इसके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि के पंचवर्षीय घोषणा-पत्र में कर दूँगा।

हस्ताक्षर--------------------

पदनाम--------------------

दिनांक--------------------

टिप्पणी--प्रत्येक सम्पत्ति में बन्धक अथवा पट्टा के अधीन धृत कोई स्वत्व या भूस्वामिक सम्मिलित होती है।

ऐसी सम्पत्ति को जो किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार का अन्य सदस्य, जो उसके साथ रह रहा हो या किसी भी प्रकार से उस पर आश्रित हो, द्वारा या उसकी ओर से धृत या प्रबन्धित हो, इस घोषणा-पत्र के प्रयोजनार्थ स्वयं अधिकारी द्वारा धृत या प्रबन्धित समझा जायेगा।

(ग)

(उनके उपयोगार्थ जो अंशधारक अथवा विनियोजक न हों)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे स्वामित्व में किसी प्रकार के अंश अथवा विनियोजन नहीं हैं। यदि एतद्पश्चात् मैं कोई अंश अर्जित करूँगा अथवा उन्हें विनियोजित करूँगा तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि के पंचवर्षीय घोषणा-पत्र में कर दूँगा।

हस्ताक्षर--------------------

पदनाम--------------------

दिनांक--------------------

(घ)

(उनके उपयोगार्थ जो अंशधारक अथवा विनियोजक हैं)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे स्वत्व में निम्नवत् अंश तथा विनियोजन हैं :--

अंश

क्रम-संख्या	विवरण	अर्जन का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	कुल अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

विनियोजन

क्रम-संख्या	विवरण	विनियोजन का दिनांक	मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

यदि मैं इसके अतिरिक्त अंश अर्जित करूँगा अथवा अन्य विनियोजन करूँगा तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा-पत्र में कर दूँगा।

हस्ताक्षर--------------------

पदनाम--------------------

दिनांक--------------------

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 36 सा० प्रशासन--24-1-91--(2094)--1991--10,000 (मैक०)।

घोषणा–पत्र

मैं..पुत्र / पुत्री श्री..

यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ और यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा न तो दहेज लिया जायेगा और न ही दिया जायेगा।

घोषणा–पत्र

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी

श्री ....यह घोषणा करता / करती हूँ कि

मैं विवाहित हूँ तथा मेरे एक जीवित पति / पत्नी है।

दिनांक ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं...पुत्र / पुत्री श्री...
यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज नही है।